जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 20.05.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई मारपीट मे लिप्त 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 08.05.2024 को नावेद पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम फतेहपुर खेड़ी थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर के साथ कस्बा कांधला में बारात में मोहिन आदि के द्वारा मारपीट की गयी थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के सम्बन्ध में सादिक पुत्र मतलूब निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा कर थाना क्षेत्रान्तर्गत बारात में हुई मारपीट में लिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नदीम पुत्र अनीस निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

2.मोईन पुत्र गुलाब निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत।

<u>जनपद शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 11 एनबीडब्ल्यू अभियुक्त किये गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 19/20.04.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन व झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 11 एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली, थाना थानाभवन, थाना कांधला व थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.पाटिल उर्फ अनुज कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.प्रिया पत्नी गौरव निवासी सेक्टर 07 जनपद करनाल (हरियाणा)।

3.दिलदार पुत्र हसन निवासी मौहल्ला नानू कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.नीरज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम मन्टी हसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.जोनी पुत्र जयवीर निवासी ग्राम सेवापुर थाना झिँझाना जनपद शामली।

6.लख्मी पुत्र भागमल निवासी ग्राम सेवापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.चमनलाल पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.रवि पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कमालपुर थाना झिँझाना जनपद शामली।

9.सुरेश पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम डुन्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।

10.विनोद पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम डुन्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।

11.दिनेश पुत्र विशन सिंह निवासी ग्राम पंजोखरा थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गौ हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई सजा एवं 8,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

1. वर्ष 1998 में अभियुक्त बाला पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 167/1998 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.05.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट कैराना, शामली द्वारा धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 8,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.बाला पुत्र इस्माईल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI